राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

वित्त (नियम) विभाग मुख्यालय

कमांक:एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/79./2014/4393 दिनांक 12-06-2014

परिपत्र

कतिपय ईकाईयों से यह शंकाऐं प्राप्त हुई है कि रूट चैकिग पर जाने वाले ऐसे कर्मचारी जो प्रातः जाकर सांयकाल वापिस अपने मुख्यावास पर लौट आते है उन्हें यात्रा भत्ता विनियमों के अन्तर्गत किस दर से दैनिक भत्ते का भुगतान देय होगा।

इस सम्बन्ध में समस्त ईकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि रूट चैकिंग पर जाने वाले ऐसे कर्मचारियों को यात्रा भत्ता विनियम 1965 के विनियम 29 (Rate of daily Allowance) (Without Hotel) के अन्तर्गत दैनिक भत्ता देय होगा।

इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी के :--

1) 6 घन्टे से पूर्व मुख्यावास पर आने पर कोई दैनिक भत्ता देय नही होगा ।
2) 6 घन्टे से अधिक परन्तु 12 घन्टे तक मुख्यावास से अनुपस्थिति रहने पर 50 प्रतिशत दैनिक भत्ता देय होगा ।
3) 12 घन्टे से अधिक समय में मुख्यावास वापिस आने पर पूर्ण दैनिक भत्ता देय होगा ।

इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि ईकाई प्रभारी अपने अधिनस्थ कार्यरत कर्मचरियों तथा यातायात निरीक्षक/सहायक यातायात निरीक्षक इत्यादि को चैकिंग प्रोग्राम इस प्रकार से आवंटित करे कि वे 12 घन्टे में मुख्यालय लौट आवे । विशेष परिस्थितियों में ही 12 घन्टे से अधिक कार्य लिया जावे जिसके लिए ईकाई प्रभारी अनिवार्य रूप से लिखित में आदेश जारी करेंगे ।

12/6/14

वित्तीय सलाहकार

कमांक:एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/79./2014/4393 दिनांक 12-06-2014

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1 निजी सचिव, अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
2 कार्यकारी निदेशक( ) रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
3 महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
4 उप महा प्रबन्धक (I.T.)/~~कार्यकारी प्रबन्धक~~( ), रा.रा.प.प.निगम, मु. जयपुर ।
5 निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
6 जोनल मैनेजर, रा.रा.प.प.निगम, ...जोन ।
7 मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, के0का0 .... ।
8 लेखाधिकारी ( ), रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
9 मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त) रा.रा.प.प.निगम, ... ।
10 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I ( ) रा.रा.प.प.निगन, मुख्यालय, जयपुर ।
11 आदेश /रक्षित पत्रावली ।

12/6/14

वित्तीय सलाहकार